

सूचना बुलेटिन

सीजीएचएस भर्ती परीक्षण / परीक्षा - 2017 के लिए

जयपुर

चिकित्सा परिचर (एमए) और महिला चिकित्सा परिचारिका
(एलएमए) (एमटीएस) के पद के लिए

सीजीएचएस, जयपुर

में

अपर निदेशक कार्यालय,
केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना,
केन्द्रीय सदन परिसर, ब्लॉक-बी,
सैक्टर -10, विद्याधर नगर,
जयपुर-302039

फोन नंबर 0141-2235110, 117, 119

ई-मेल आईडी - addcghsjaipur@yahoo.in

वेबसाइट www.cghsjaipur.nic.in

1. परिचय:

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) पूरे भारत में कुछ चुने हुए शहरों में अपने लाभार्थियों को व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करती है। सीजीएचएस, जयपुर ने सीजीएचएस के लाभार्थियों को चिकित्सा देखभाल सुविधाओं को पूरा करने के लिए मेडिकल अटेंडेंट और लेडी मेडिकल अटेंडेंट (एमटीएस) के पद के लिए भर्ती को अधिसूचित किया है। 28 जनवरी से 03 फरवरी 2017 तथा 13-19 मई 2017 को रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार मेडिकल अटेंडेंट और लेडी मेडिकल अटेंडेंट (एमटीएस) के पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

2. पात्रता मानदंड:

मान्यता प्राप्त बोर्ड से मेट्रिक्यूलेशन (10वीं) पास या समकक्ष और केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राथमिक चिकित्सा (First Aid) का प्रमाण पत्र प्राप्त हो।

3. परीक्षा के संबंध में आवेदनकर्ता के लिए सामान्य निर्देश:

1. उम्मीदवारों को किसी भी पूछताछ के लिए सीजीएचएस से संपर्क करने से पहले पात्रता मानदंड, परीक्षा की योजना एवं पैटर्न आदि के लिए सूचना बुलेटिन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। पात्रता और अन्य मुद्दों से संबंधित प्रश्नों पर तब ही विचार किया जाएगा जब यदि अनुरोधित (चाही गई) जानकारी सूचना बुलेटिन या वेबसाइट (www.cghsjaipur.nic.in) पर नहीं दी गई हो।

2. उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज़ परीक्षा केंद्र पर आवश्यक रूप से लाने हैं:

i. प्रवेश पत्र और

ii. नीला या काला बॉलपॉइंट पेन।

iii. निम्नलिखित में से कोई भी एक अधिकृत फोटो आईडी ** (फोटो लगी मूल आईडी होनी चाहिए जिसकी समय सीमा समाप्त नहीं हुई हो):

· अच्छा होगा कि आवेदन पत्र के साथ जमा की गयी आईडी लायी जाए।

· पैन कार्ड।

· मूल आधार कार्ड (कंप्यूटर प्रिंट या फोटोकॉपी स्वीकार नहीं किया जाएगी)।

· ड्राइविंग लाइसेंस।

· वोटर आईडी

· पासपोर्ट।

** फोटो पहचानपत्र पर नाम, प्रवेश पत्र पर दिखाए नाम से मेल खाना चाहिए। यदि शादी होने या अन्य कारण से नाम बदल गया है, तो उम्मीदवार को परीक्षा के समय नीचे उल्लिखित प्रासंगिक समर्थक दस्तावेज़ दिखाना होगा।

· शादी का प्रमाण पत्र

या

· तलाक का न्यायालय से मंजूरी का आदेश

या

· कानूनी रूप से नाम बदलने के दस्तावेज़, जैसा लागू हो।

3. परीक्षण केंद्र पर तैनात स्टाफ, उम्मीदवारों की पहचान सत्यापित करने के लिए पूरी तरह अधिकृत है और वे उम्मीदवारों की पहचान को सत्यापित करने और रिकॉर्ड करने के लिए कदम उठा सकते हैं। उम्मीदवारों को अपेक्षित सहयोग करना आवश्यक है।

4. सूचना बुलेटिन में दिये गए निर्देश सीजीएचएस, जयपुर द्वारा लिए गए निर्णयो के आधार पर बदले जा सकते हैं। उम्मीदवार के पक्ष में किसी भी प्रकार से उत्पन्न होने वाली कोई इक्विटी या कोई भी अधिकार नहीं हैं।
5. मौजूदा अनुसूची, पैटर्न, नीति और दिशा निर्देश केवल शीघ्र संदर्भ के लिए हैं।
6. उम्मीदवार की योग्यता निर्धारित करने से संबन्धित किसी भी निर्देश / शर्त / नियम / पात्रता मानदंड की व्याख्या की अस्पष्टता के किसी भी मामले में, सीजीएचएस, जयपुर की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।
7. परीक्षा 26.11.2017 को दोपहर 3.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक टैगोर पब्लिक स्कूल, टैगोर लेन, पीतल फेक्ट्री के पास, शास्त्रीनगर, जयपुर में आयोजित होगी।
8. दिनांक / परीक्षण केंद्र में परिवर्तन के लिए किसी भी प्रकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस तरह के अनुरोध के लिए प्रचार या इस प्रकार के निवेदन नहीं करें।
9. किसी भी विवाद के मामले में, बुलेटिन के अंग्रेजी संस्करण का उपयोग किया जाएगा और उसे माना जाएगा।
10. प्रश्नपत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा और किसी भी विवाद के मामले में, प्रश्नपत्र के अंग्रेजी संस्करण का उपयोग किया जाएगा और उसे माना जाएगा।
11. एमए / एलएमए की परीक्षा के लिए पात्र उम्मीदवारों की सूची इस कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
12. भर्ती परीक्षा 2017 के संबंध में सीजीएचएस, जयपुर का सूचना बुलेटिन इस कार्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
13. आवेदक कृपया ध्यान दें कि भर्ती परीक्षा में उपस्थिति, सीजीएचएस द्वारा भर्ती प्रक्रिया की अगली कार्यवाही में भागीदारी के लिए किसी भी स्वतः अधिकार को प्रदान नहीं करती है।
14. न्यायालय के मामलों / विवादों का अधिकार क्षेत्र केवल जयपुर में सक्षम न्यायालयों के अनन्य अधिकार क्षेत्र में ही होगा।
15. परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन / कैमरे / ब्लूटूथ / कैलकुलेटर / नोट्सबुक / स्कैनिंग इंस्ट्रूमेंट / हेडफोन / एयर-प्लग / लैपटॉप / पीसी या अन्य प्रकार का सम्प्रेषण या संचार उपकरण निषिद्ध है।
16. अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले प्रत्याशियों के खिलाफ उपयुक्त नागरिक / आपराधिक प्रक्रिया / दिशानिर्देशों या किसी अन्य कार्यवाही के तहत न्यायिक कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार सीजीएचएस के पास सुरक्षित हैं।
17. विस्तृत जानकारी के लिए कृपया इस कार्यालय की वेबसाइट www.cghsjaipur.nic.in को देखें ।

4. परीक्षा फीस:

परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना है।

5. परीक्षा की योजना :

1. परीक्षा में 180 बहुविकल्प प्रश्न शामिल हैं, जिनमें एक सही उत्तर शामिल है। सभी प्रश्न केवल हिंदी और अंग्रेजी भाषा में ही होंगे।
2. परीक्षा, कागज और पेन आधारित परीक्षा होगी।
3. नकारात्मक अंकन: गलत उत्तरों के लिए 25% नकारात्मक अंकन किया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काट दिया जाएगा। हल नहीं किए गए या छोड़ दिये गए प्रश्नों को शून्य अंक दिए जाएंगे। ऊपरीलेखन (Overwriting) एवं किसी प्रश्न के एक से अधिक उत्तरों का चयन, गलत उत्तर माना जाएगा एवं तदानुसार 0.25 अंक काट लिया जाएगा ।
4. परीक्षा जयपुर में ही आयोजित की जाएगी।

5. समय का आवंटन निम्नानुसार होगा:

उम्मीदवारों का प्रवेश समय	2.00 PM
परीक्षा प्रारंभ समय	3.00 PM
परीक्षा में प्रवेश बंद	3.15 PM
परीक्षा समाप्ति समय	6.00 PM

(3.15 PM बजे के बाद प्रवेश और परीक्षा समाप्त होने के समय (6.00 PM) से पूर्व प्रस्थान की अनुमति नहीं होगी)

6. केन्द्र के परिवर्तन के लिए अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

एक बार उम्मीदवारों के लिए परीक्षा की समय सारणी निर्धारित होने के बाद, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे केन्द्र के परिवर्तन लिए प्रचार न करें।

7. उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि उन्हें प्रवेश पत्र पर और इस सूचना बुलेटिन के बिन्दु 5 पर 'परीक्षा की योजना' नाम से दिये शीर्षक में वर्णित समय तक परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा। देर से या निर्धारित समय के पश्चात परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. आईडी सत्यापन - निर्देशित मूल दस्तावेजों में से किसी एक की मूल प्रवेश पत्र के साथ जाँच की जाएगी।

9. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे स्वयं परीक्षा केंद्र के स्थान से पूर्व में परिचित हो जायें और तदानुसार यात्रा के समय की योजना बनाएं। उम्मीदवारों को रिपोर्टिंग समय पर या उससे पहले टेस्ट सेंटर तक पहुंचना चाहिए। उम्मीदवारों को यह नोट करना चाहिए कि परीक्षा परिसर में दोपहर 3.15 बजे के बाद किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्र में देरी से पहुंचने के लिए उम्मीदवार को किसी भी कारण से होने वाली देरी के लिए सीजीएचएस जिम्मेदार नहीं होगी।

10. आवेदकों को यात्रा और रहने की अपनी व्यवस्था स्वयं को करने की आवश्यकता है। उनको कोई टीए / डीए देय नहीं होगा।

11. परीक्षा में आने वाला कोई भी अनाधिकृत उम्मीदवार नहीं हो, यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केंद्र पर पहचान की जांच की जाएगी। उम्मीदवारों को सुरक्षा जांच में सहयोग करना आवश्यक है।

12. वैध पहचान प्रमाणपत्र के बिना उम्मीदवारों को परीक्षा परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. परीक्षा का पैटर्न:

1. परीक्षा एक पारंपरिक पेपर एवं पेन आधारित परीक्षण मोड में की जाएगी।

2. लिखित परीक्षा केवल एक सही उत्तर वाले बहु विकल्प प्रश्न (एमसीक्यू) प्रकार की होगी जिसमें प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प होंगे, जिसमें केवल एक सही उत्तर होगा। परीक्षा में 180 प्रश्न शामिल होंगे, जिन्हें आवेदकों को निर्धारित तीन घंटे में हल करना होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आवेदक को एक अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, 0.25 अंक काट लिया जाएगा यानी 25% का नकारात्मक अंकन: होगा। उपरिलेखन या प्रश्न के एक से अधिक उत्तरों के चुनने पर उसे गलत उत्तर माना जाएगा और तदानुसार 0.25 अंक काट लिया जाएगा।

3. ओएमआर शीट को प्रश्नपत्र के साथ साथ परीक्षा हाल में परीक्षक के पास जमा करना होगा।

7. परीक्षा का सिलेबस:

1. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मैट्रिक स्तर तक के निम्न पाँच विषयों में से प्रत्येक में से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे: - हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित। (अर्थात् कुल पांच विषयों में से कुल 125 प्रश्न पूछे जाएंगे)।

2. प्राथमिक चिकित्सा पाठ्यक्रम (First Aid Course): - प्राथमिक चिकित्सा के पाठ्यक्रम में से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे।

3. सामान्य ज्ञान: भारत के सामान्य इतिहास , भारत के संबंध में भूगोल , वर्तमान या सामयिक मामलों, खेल और खेलकूद व सामान्य जागरूकता के संबंध में 25 प्रश्न पूछे जायेंगे ।
4. प्रश्न पत्र में कुल 180 प्रश्न होंगे।

पाठ्यक्रम, विषय व विषय के अनुसार प्रश्नों की संख्या दर्शानेवाली तालिका

क्र. सं.	विषय	प्रश्नों की संख्या
1	हिंदी (मैट्रिक्यूलेशन स्तर)	25
2	अंग्रेजी (मैट्रिक्यूलेशन स्तर)	25
3	विज्ञान (मैट्रिक्यूलेशन स्तर)	25
4	सामाजिक विज्ञान (मैट्रिक्यूलेशन स्तर)	25
5	गणित (मैट्रिक्यूलेशन लेवल)	25
6	प्राथमिक चिकित्सा पाठ्यक्रम (First Aid Course)	30
7	सामान्य ज्ञान (भारत के सामान्य इतिहास, भारत के संबंध में भूगोल, वर्तमान या सामयिक मामलों, खेल और खेलकूद और सामान्य जागरूकता)	25
	कुल	180

8. चेतावनी सूचना:

- उम्मीदवारों को भर्ती परीक्षा के बारे में प्रामाणिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.cgshsjaipur.nic.in पर सूचना बुलेटिन एवं सामयिक अद्यतन जानकारी का संदर्भ लेने की सलाह दी जाती है।
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी पार्टी या व्यक्ति के किसी भी दावे के लालच में नहीं आयें।
- किसी भी उम्मीदवार या माता-पिता के द्वारा सीजीएचएस का प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले व्यक्तियों से लेनदेन करने के लिए सीजीएचएस जिम्मेदार नहीं होगी।
- किसी भी श्रेणी के तहत सीजीएचएस, जयपुर में मेडिकल अटेंडेंट और लेडी मेडिकल अटेंडेंट (एमटीएस) के पदों की आरक्षित सीटों की बुकिंग / कोचिंग के लिए सीजीएचएस, की कोई प्राधिकृत एजेंसी नहीं है।
- आवेदकों को हमेशा सीजीएचएस, जयपुर की वेबसाइट अथार्त www.cgshsjaipur.nic.in को देखना चाहिए।
- भर्ती के लिए एक प्रतियोगी लिखित परीक्षा अनिवार्य है।
- आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे जयपुर में सीजीएचएस भर्ती परीक्षा के किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की फीस का भुगतान नहीं करें।
- आवेदकों को निर्देश दिया जाता है कि वे किसी भी व्यक्ति द्वारा परीक्षा में प्रदर्शन या किसी अन्य लाभ के बारे में दिए गए किसी भी झूठे आकर्षण या प्रभाव में नहीं आयें।

9. अनुचित तरीके :

अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाये गए उम्मीदवारों के खिलाफ लागू होने वाले नागरिक / आपराधिक प्रक्रिया / दिशा निर्देशों के तहत दंडकारी कार्यवाही करने या कोई अन्य उचित कार्यवाही करने के लिए सीजीएचएस के पास अपने सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित हैं। अनुचित साधनों में शामिल हैं:

- उम्मीदवारों द्वारा अपनी उम्मीदवारी के लिए निम्नलिखित तरीकों से समर्थन प्राप्त करना या प्रयास करना, अर्थात्:

- अवैध संतुष्टि (परितोषण) की पेशकश; या
- दबाव बनाना; या
- परीक्षा के संचालन से जुड़े किसी भी व्यक्ति का भयादोहन (ब्लैकमेल) करने, या भयादोहन (ब्लैकमेल) करने की धमकी देना। या
- 2. प्रतिरूपण (छद्मरूप धारण करना); या
- 3. किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण (छद्मरूप धारण करने वाले) को खरीदना; या
- 4. जाली दस्तावेजों या ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत करना, जिन के साथ छेड़छाड़ की गई हो; या
- 5. गलत या झूठी जानकारी देना या किसी तथ्यात्मक सूचना को छिपाना; या
- 6. परीक्षा में एक ऐसे व्यक्ति द्वारा उपस्थिति जो सीजीएचएस की राय में एक मूल एवं योग्य उम्मीदवार नहीं है,
- 7. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का सहारा लेना, अर्थात्: -
 - किसी भी तरह से पूर्ण प्रश्नपत्र या आंशिक प्रश्नपत्र की प्रति प्राप्त करना;
 - परीक्षा से संबंधित गुप्त कार्य से जुड़े व्यक्तियों के बारे में विशेष जानकारीयों का पता लगाना।
 - परीक्षकों को प्रभावित करना; या परीक्षा के लिए तैनात कर्मचारियों / अधिकारियों को प्रभावित करना; या
- 8. परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग करना; या
- 9. अश्लील लेख लिखना या अश्लील स्कैच चित्र बनाना; या
- 10. परीक्षा केंद्र पर दुर्व्यवहार करना, साथी परीक्षार्थियों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना, एक उच्छृंखल दृश्य (हुड़दंग) करना; या
- 11. परीक्षा के संचालन के लिए सीजीएचएस द्वारा तैनात किए गए कर्मचारियों को या उस के द्वारा नियुक्त एजेंसी के कर्मचारियों को परेशान करना या शारीरिक नुकसान पहुँचाना; या
- 12. किसी भी मोबाइल फोन, पेजर या किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या डिवाइस या किसी अन्य उपकरण या परीक्षा के दौरान एक संचार डिवाइस के रूप में इस्तेमाल होने में सक्षम कोई अन्य उपकरण को अपने पास रखना; या
- 13. परीक्षा में अनुमति देने वाले प्रवेश पत्रों के साथ उम्मीदवारों को भेजे गए / जारी किए गए किसी भी निर्देश का उल्लंघन करना; या
- 14. पूर्वगामी धाराओं में निर्दिष्ट सभी या किसी भी निर्देश को नहीं मानने की गलती करना, या किसी और मामले में सीजीएचएस को उकसाने का प्रयास करना;
 - अनुचित साधनों के उपयोग में शामिल होने से उम्मीदवार स्वयं के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी होने के अलावा, उत्तरदायी होगा: -
 - सीजीएचएस द्वारा परीक्षा / परीक्षा से अयोग्य घोषित करने के लिए, जिसके लिए वह एक उम्मीदवार है; और / या
 - या तो स्थायी रूप से या किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए वंचित (debarred) किया जाने के लिए।
- सीजीएचएस द्वारा आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा या चयन से; या
- केंद्र / राज्य सरकार के अधीन किसी भी रोजगार से ; तथा
- यदि वह पहले से ही सरकार के अधीन सेवा में है तो उपयुक्त नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए।

10. अस्वीकरण :

किसी भी व्यक्ति / उम्मीदवार को पूर्वगामी या ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराये जाने के लिए सीजीएचएस का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

INFORMATION BULLETIN

FOR CGHS RECRUITMENT TEST / EXAMINATION-2017

JAIPUR

**FOR THE POST OF MEDICAL ATTENDANT AND
LADY MEDICAL ATTENDANT (MTS)**

IN

CGHS, JAIPUR

Office of the Additional Director,
Central Govt. Health Scheme,
Kendriya Sadan Parisar, Block-B,
Sector – 10, Vidhyadhar Nagar,
Jaipur-302039

Phone No. 0141-2235110, 117, 119

E-mail ID - addcghsjaipur@yahoo.in

Website www.cghsjaipur.nic.in

INTRODUCTION

The Central Government Health Scheme (CGHS) provides comprehensive health care to its beneficiaries in some covered cities throughout India. CGHS, Jaipur has notified the recruitment for the post of Medical Attendant and Lady Medical Attendant (MTS) for catering medical care facilities to the beneficiaries of CGHS. As per the advertisement published in Employment News on 28-Jan to 03 Feb 2017 and 13-19 May 2017 applications were invited from the suitable candidates for the post of Medical Attendant and Lady Medical Attendant (MTS).

Eligibility criteria

Matriculation (10th) or equivalent pass from a recognized Board and Certificate in First Aid from Central Government or State Government recognized institution.

GENERAL INSTRUCTIONS FOR APPLICANT CANDIDATES WITH REGARD TO EXAMINATION:

1. Candidates are required to go through the information Bulletin carefully for eligibility criteria, scheme and pattern of test etc. before contacting CGHS for any query. Queries pertaining to eligibility and other issues will only be entertained if the information requested is not given in information Bulletin or on website (www.cghsjaipur.nic.in).
2. Candidates MUST bring to the test centers the following documents:
 - i. Admit card AND.
 - ii. HB Pencil, Sharpener, Rubber and Ballpoint Pen.
 - iii. Any one of the following authorized photo ID's ** (must be original with photo and non expired):
 - Preferably ID submitted with application form.
 - PAN Card.
 - Adhaar Card in Original (computer print or photocopy shall not be accepted).
 - Driving License.
 - Voter ID.
 - Passport.

** The name on the photo identification must match the name as shown on the admit card. If the name has been changed due to events such as marriage, candidate must show the relevant supporting document mentioned below at the time of the test/examination.

- Marriage Certificate
Or
- Divorce Decree
Or
- Legal Name Change Document, as may be applicable.

3. The test centre staff on duty is wholly authorized to verify the identity of candidates and may take steps to verify and record the identity of candidates. Candidates are required to extend requisite cooperation.
4. Instructions in the information bulletin are liable to changes based on decisions taken by CGHS, Jaipur. There is no equity or any right (s) that are/or deemed to be arising in favour of candidate.
5. The existing schedule, pattern, policy and guidelines are for ready reference only.
6. In any case of any ambiguity in interpretation of any of the instructions/terms/rules/criteria regarding the determination of eligibility/conduct of tests/registration of candidates/information contained herein, the interpretation of CGHS, Jaipur will be final and binding.
7. The examination will be held on 26.11.2017 from 3.00 PM to 6.00 PM at Tagore Public School, Shastri Nagar, Jaipur.
8. Requests are not entertained for change in date/test centre. Candidates are advised not to canvass for or submit such requests.
9. In case of any dispute, English version of the bulletin shall be applied and followed.
10. The question paper will be in both Hindi and English and in case of any dispute, English version of the question paper will be applied & followed.
11. The list of eligible candidates for the examination of MA/LMA is available on the website of this office.
12. Information bulletin for CGHS, Jaipur, with regard to the recruitment test/examination 2017 is also available on the website of this office.
13. Applicants may kindly note that appearance in recruitment test does not confer any automatic right for participation in further proceedings of the recruitment process by CGHS.
14. The jurisdiction for court cases/disputes shall be within the exclusive jurisdiction of competent courts at Jaipur only.
15. Mobile phones/Cameras/Bluetooths/Calculators/Notes Books/Scanning instrument/Head Phone/Air-Plug/Laptop/PC or any other communicational or transmissional devices are prohibited at the examination centre.
16. CGHS reserves its absolute rights to take penal action under applicable civil/criminal procedure/guidelines or any other action deemed appropriate against candidates found using unfair means.
17. For detailed information please visit the website of this office www.cghsjaipur.nic.in

TEST FEES

No fees is to be paid by the candidates for the test.

SCHEME OF TEST:

1. The test/exam comprises 180 multiple choice questions, with single correct response. All the questions will be texted in Hindi and English language only.
2. The test/exam shall be paper, pen and pencil based test/exam.
3. Negative marking: there shall be 25% negative marking for wrong answers. Each correct answer will get 1 mark. 0.25 marks will be deducted for every wrong answer. Unattempted questions will be given zero marks.
4. Test will be conducted in Jaipur only.
5. Allocation of time shall be under:

Candidates Entry Time	2.00 PM
Test Start Time	3.00 PM
Test Start Entry Closes	3.15 PM
Test End Time	6.00 PM

(Entry after 3.15 PM and Early Exit is not permitted)

6. REQUEST FOR CHANGE OF CENTRE WILL NOT BE ENTERTAINED.
Once the test/exam has been scheduled for the candidates, they are advised not to canvass for the same.
7. Candidates may kindly note that they have to report by the time indicated on the admit card and point 5 of the heading 'Scheme of Test' of this information bulletin. Candidates reporting late or beyond the prescribed time shall not be allowed to appear in the test.
8. ID verification – any one of the original documents as have been indicated along with the admit card will be checked in original.
9. Candidates are advised to familiarize themselves with the location of test centre and plan travel time accordingly. Candidates should reach the test centres on or before the reporting time. Candidates must note that entry after 3.15 PM to the test premises is not permitted under any circumstances. CGHS shall not be responsible for any delayed arrival of the candidate in reaching the test centre due to any reason.
10. Applicants are required to make their own arrangements of travel and stay. No TA/DA shall be payable to them.
11. Identity checks will be made upon arrival at the test centre to ensure that there are no unauthorized candidate (s) appearing for the test. Candidates are required to cooperate with the security checks.
12. Candidates without a valid ID proof shall not be allowed to enter the test premises.

PATTERN OF EXAM:-

1. The Examinations shall be done in a conventional Paper Based Testing mode.
2. The written examination shall be of single correct response, multiple choice questions (MCQ) type wherein each question shall be followed by four distracters with only one correct response. The examination shall comprise of 180 questions

which shall have to be attempted by applicants in the stipulated 3 hours. For every correct answer one mark shall be awarded to the applicant and for every incorrect answer / attempt, 0.25 mark shall be deducted i.e. there shall be a negative marking of 25%. Unattempted questions will be given zero marks.

SYLLABUS OF THE EXAM:-

1. 25 Questions will be asked from each of the following subjects upto the level of Matriculation from Board of Secondary Educations:- Hindi, English, Science, Social Science and Maths. (i.e. aggregate 125 questions will be asked from all of the above five subjects).
2. First Aid course:- 30 questions will be asked with regard to the course of First Aid.
3. General Knowledge:- 25 questions will be asked with regard to the General History of India, Geography in relation to India, Current Affairs, Games & Sports and General Awareness.

CAUTION NOTICE:-

1. Candidates are advised to refer to website www.cghsjaipur.nic.in and information bulletin for authentic information and periodic updates regarding the recruitment test.
2. Candidates are advised not to be allured by any claim of any party or person.
3. CGHS will not be responsible for any candidate(s) or parents dealing with such persons claiming to be representative of CGHS.
4. CGHS has not any authorized agency for booking / coaching / reserving seats for the post of Medical Attendant and Lady Medical Attendant (MTS) under CGHS, Jaipur under any category.
5. Applicants should always visit only the website of CGHS, Jaipur i.e. www.cghsjaipur.nic.in
6. A competitive written examination is compulsory for the recruitment.
7. Applicants are advised not to pay any kind of fees for CGHS recruitment exam at Jaipur at any stage of process.
8. Applicants are also instructed not to come under any false attraction or influence given by any person regarding performance in test or any other benefits.

UNFAIR MEANS

CGHS reserves its absolute rights to take penal action under applicable civil/criminal procedure/guidelines or any other action deemed appropriate against candidates found using unfair means. Unfair means includes:

1. Obtaining or attempting support for his candidature by the following means, namely:
 - Offering illegal gratification to ; or
 - Applying pressure on ; or

- Blackmailing, or threatening to blackmail any person connected with the conduct of the examination. Or
2. Impersonation; or
 3. Procuring impersonation by any person; or
 4. Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or
 5. Making statements which are incorrect or false or suppressing material information; or
 6. Appearance in test by a person which in opinion of CGHS is not a bonafied-candidate seeking admission.
 7. Resorting to the following means in connection with his candidature for the examination, namely:-
 - Obtaining copy of question paper in part or total through any means;
 - Finding out the particulars of the persons connected with secret work relating to the examination.
 - Influencing the examiners; or influencing staff / officers deployed for tests; or
 8. Using unfair means during the examination; or
 9. Writing obscene matter or drawing obscene sketches; or
 10. Misbehaving at test centre, provoking fellow examinees to boycott examination, creating a disorderly scene and the like; or
 11. Harassing or doing bodily harm to the staff deployed by the CGHS or its designated agency for the conduct of their examination; or
 12. Being in possession of or using any mobile phone, pager or any electronic equipment or device or any other equipment capable of being used as a communication device during the examination; or
 13. Violating any of the instructions issued to candidates along with their admission certificates permitting them to take the examination; or
 14. Attempting to commit or, as the case may be, abetting the CGHS of all or any of the acts specified in the foregoing clauses;
 - The candidate by indulging in unfair means, any in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable:-
 - To be disqualified by the CGHS from the test/examination for which he is a candidate; and/or
 - To be debarred either permanently or for a specified period:-
By the CGHS, from any examination or selection held by them;
By the Central / State Government from any employment under them; and
 - To disciplinary action under the appropriate rules if he is already in service under Government:

DISCLAIMER –

The decision of CGHS shall be final and binding for declaration of any person / candidate guilty of foregoing or such offence.
